

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक : सी- 1292 /बा०वि०परि०/लेखा/2016-17


दिनांक : 16 नवम्बर, 16

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : संविदा कर्मचारियों को शासकीय यात्रा के उपरान्त यात्रा भत्ता भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशालय के संज्ञान में आया है कि संविदा कर्मचारियों द्वारा शासकीय दायित्व के निर्वहन में की गयी शासकीय यात्रा के विरुद्ध नियमानुसार यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं हो रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत संविदा कर्मचारियों को, जो शासकीय कर्मचारियों की अधिकृत श्रेणी के समकक्ष हों, के समान नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।



(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पुष्पांकन / तद्विर्नांक।

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्पाहार, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक